INDEX

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	02
2	Appearance of Advocates	02
3	Charge	04
4	Admitted facts	04
5	Prosecution story	04-05
6	Reason and findings	06-08
7	Sentence	-
8	Period of detention and set-off	08
9	Disposal of property	08
10	Order of compensation	-
11	Certificate under section 428 CrPC	10
12	Warrant of commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	-
13	Copy of Judgment	01-10

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, SITAPUR, SURGUJA (C.G.) Presiding Officer : Parth Tiwari	
Date of the judgement : 24/01/2024 Case No.: 677/2022 Details of FIR/ Crime and Police station : P.S. Sitapur, District Surguja (C.G.), Crime No. 307/2022 u/s 452/34, 294, 506 Part-II, 323/34 of IPC, 1860.	
Complainant	State of Chhattisgarh
Represented by	Ld. ADPO
Accused	1. Punam Soni W/o Ganesh Soni, Age 45 years, R/o Champakpara P.S. Sitapur, District Surguja (C.G.).
	2. Sonu Soni S/o Ganesh Soni, Age 19 years, R/o Champakpara P.S. Sitapur, District Surguja (C.G.).
Represented by	Ld. Shri Madan Mohan Gupta, Advocate

Date of offence	20.09.2022
Date of FIR	20.09.2022
Date of chargesheet	27.10.2022
Date of framing of charges	16.01.2023
Date of commencement of evidence	16.01.2023
Date on which judgment is reserved	-
Date of the judgment	24.01.2025
Date of the sentencing order, if any	-

Accused Details

Rank of the accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 CrPC.
1.	Punam Soni	30.09.2022	27.10.2022	Section 452/34, 294, 506 Part-II, 323/34 of IPC, 1860.	Acquitted	-	NIL

2.	Sonu Soni	30.09.2022	27.10.2022	Section 452/34, 294, 506 Part-II, 323/34 of IPC, 1860.	Acquitted	-	NIL

// निर्णय //
// आज दिनांक–24/01/2025 को घोषित //

01– अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452/34, 294, 506 Part–II, 323/34 के तहत आरोप है कि उन्होने दिनांक 20.09.2022 के समय 16.10 बजे स्थान चंपकपारा, थाना सीतापुर जिला सरगुजा क्षेत्रांतर्गत में अन्य आरोपीगण के साथ प्रार्थी के घर में प्रवेश करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में प्रार्थी चंदा सोनी के निवास स्थान में कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, प्रार्थी को आम लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चरित कर प्रार्थी एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं अन्य आरोपीगण के साथ प्रार्थी से मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में आहत/प्रार्थी को टांगी, छड़, इटा के टुकड़े से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

02– प्रकरण में प्रार्थी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा होने से आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294, 506 Part–II, 323/34 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी गणेश सोनी फौत हो चुका है एवं प्रकरण उनके संदर्भ में उपशमित किया जा चुका है। अतः यह निर्णय आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452, 34 के अपराध के संदर्भ में पारित किया जा रहा है।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी चंद्रा सोनी ने थाना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि प्रार्थी का उसके देवर

के साथ जमीन हिस्सा बंटवारा हो गया है। प्रार्थी अपने हिस्से की जमीन पर घर बनवा रहे थे तभी आरोपीगण गणेश सोनी, पूनम सोनी, सोनू सोनी घर में टांगी लेकर आये और उनके लिए बिम उठाने के लिए जगह नहीं छोड़े कहकर बुरी–बुरी गाली गलौज कर टांगी, छड़, इटा के टुकड़े से मारपीट किये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है । विवेचना के दौरान गवाहो का कथन लेखबद्ध किया गया, नजरी नक्शा तैयार किया गया, जप्ती पत्रक तैयार किया गया । संपूर्ण विवेचना के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

04– आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452/34, 294, 506 Part–II, 323/34 के तहत आरोप पढकर सुनाये समझाये जाने पर आरोपीगण ने जुर्म करना अस्वीकार किया है तथा विचारण चाहा है । आरोपीगण का दप्रस की धारा 313 के तहत परीक्षण कराया गया बचाव साक्ष्य में प्रवेश कराये जाने पर बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया गया तथा स्वयं क निर्दोष होना एवं उनको दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है ।

05– इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.09.2022 के समय 16.10 बजे स्थान चंपकपारा, थाना सीतापुर जिला सरगुजा क्षेत्रांतर्गत में अन्य आरोपीगण के साथ प्रार्थी के घर में प्रवेश करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में प्रार्थी चंदा सोनी के निवास स्थान में कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

06– अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में चंद्रावती सोनी (अ0सा0–1), सुदामा प्रसाद सोनी (अ0सा0–2), प्रीतम सोनी (अ0सा0–3) का साक्ष्य लेखबद्ध कराया है । आरोपीगण के द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नही देना व्यक्त किया है ।

विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष

07– प्रकरण में विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है ।

08– चंद्रावती सोनी (अ0सा0–1) ने कथन किया है कि वो आरोपीगण को जानती है। घटना एक वर्ष पूर्व की दोपहर दो–तीन बजे की है। उसके एवं आरोपीगण के मध्य थोड़ा बहुत वाद विवाद एवं गाली गलौज हो गया था। उसका वर्तमान में आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। उसने थाना सीतापुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, लिखित आवेदन प्र०पी०–1 है। उसके लिखित आवेदन के आधार पर थाना सीतापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–2 है। पुलिस वाले उसके सामने घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार नहीं किया था, नजरी नक्शा प्र०पी०–3 है। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया है।

09– चंद्रावती सोनी (अ0सा0–1) ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वाद विवाद घर से दूर हुआ था।

10– सुदामा प्रसाद सोनी (अ0सा0– 02) ने कथन किया है कि वो आरोपीगण को जानता है । घटना लगभग छः–सात माह पूर्व की दोपहर के दो–तीन बजे चम्पकपारा की है। उसके एवं आरोपीगण के मध्य थोड़ा बहुत वाद विवाद एवं गाली गलौज हो गया था। पुलिस वाले उसके सामने घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार नहीं किये थे, नजरी नक्शा प्र०पी०–3 है। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया है।

11– सुदामा प्रसाद सोनी (अ0सा0– 02) ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वाद विवाद घर से दूर हुआ था। उसने घटना होते हुए नहीं देखा है।

12– प्रीतम सोनी (अ0सा0– 03) ने कथन किया है किं घटना लगभग एक वष पूर्व की चम्पकपारा की है। उसका एवं चन्द्रा सोनी एवं आरोपीगण के मध्य थोड़ा बहुत बातचीत हो गया था। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया है।

13– प्रीतम सोनी (अ0सा0– 03) ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के वक्त वह घर पर मौजूद नहीं था। उसने घटना होते हुए नहीं देखा है।

14– प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य का परीशीलन किया गया । चंद्रावती सोनी (अ0सा0–1), सुदामा प्रसाद सोनी (अ0सा0–2), प्रीतम सोनी (अ0सा0–3) ने उनके साक्ष्य में इस संदर्भ में कोइ कथन नही किया है कि आरोपीगण ने तैयारी कर प्रार्थी चन्द्रा सोनी के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया था। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर उक्त साक्षीगण ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया है। चंद्रावती सोनी (अ0सा0–1) एवं सुदामा प्रसाद सोनी (अ0सा0–2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना घर से दूर में हुआ था। चंद्रावती सोनी (अ0सा0–1) ने कथन किया है कि उनका आरोपीगण से राजीनामा हो चुका है। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा भा0द0सं की धारा 452/34 के आवश्यक तथ्यो को प्रमाणित नही किया है । अत: अभियोजन विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने में असफल रहा है ।

15– अतः आरोपी **पूनम सोनी एवं सोनू सोनी** को **भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452/34** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

16– प्रकरण में आरोपीगण का पृथक से द0प्र0स0 की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे ।

17– प्रकरण में जप्त संपत्ति एक लकड़ी का बेट लगा टांगी, ईट का दो टुकड़ा, एक लोहे का छड़ को अपील अवधि पश्चत् या अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

18– प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलका दप्रसं की धारा 437 ए के अनुपालन में प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवत्त रहेंगे उसके पश्चात निरस्त किया जावे एवं शेष जमानत मुचलका निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

PARTH TIWARI Digitally signed by PARTH TIWARI

(पार्थ तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सीतापुर जिला सरगुजा (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित।

PARTH TIWARI Digitally signed by PARTH TIWARI

(पार्थ तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सीतापुर जिला सरगुजा (छ०ग०)

न्यायालय–पार्थ तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

//निरोध अवधि तालिका//

//धारा 428 दं०प्र०सं०//

आप० प्रकरण क्रमांक 677/2022
शा०वि० गणेश सोनी वगै०
भा0 द 0 सं की धारा 452/34, 294, 506 Part-II, 323/34
निर्णय दिनांक–24.01.2025

क्रं०	आरोपी का नाम	गिरफतारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा	न्यायिक अभिरक्षा
1.	पूनम सोनी पति गणेश सोनी, उम्र–45 वर्ष, निवासी–चंपकपारा, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा छ.ग.।	30.09.2022	निरंक	निरंक
2.	सोनू सोनी आ० गणेश सोनी, उम्र–19 वर्ष, निवासी–चंपकपारा, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा छ.ग.।	30.09.2022	निरंक	निरंक

PARTH TIWARI Digitally signed by PARTH TIWARI

स्थान–सीतापुर
दिनांक–24.01.2025

(पार्थ तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सीतापुर जिला सरगुजा (छ०ग०)